न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

तारानगर–चूरू

(पीठासीन अधिकारी –राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)

वाद संख्याः– 157/2025 दर्ज तिथिः–02.06.2025

1. रामी देवी पुत्री चोथूराम जाति मोची साकिन साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू

वादीनी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तारानगर जिला चूरू।

प्रतिवादी

वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88
आर. टी. एक्ट. 136 एल.आर.
एक्ट–1956

उपस्थित
वादीनी अधिवक्ताः– श्री अशोक सिहाग।
प्रतिवादी अधिवक्ताः–राजपैरोकार तहसीलदार तारानगर

–ःनिर्णयः–

निर्णय तिथिः–27.11.2025

1. आज यह पत्रावली वाद पत्र अन्तर्गत धारा– 88 आर. टी. एक्ट., 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 का वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। प्रार्थना पत्र का सूक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीनी ने निवेदन किया गया कि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड हाल आराजी खाता संख्या 294 हाल खसरा नम्बर 304 तादादी 5.9179 है0 में प्रार्थी 1/10 हिस्से का खातेदार वाके ग्राम साहवा तहसील तारानगर जिला चूरू राजस्थान में स्थित दर्ज रिकॉर्ड है। उक्त आराजी वर्णित हाल खसरा नम्बरान राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी सम्वत् 2075–2078 में खाता संख्या 294 में वादीनी का नाम रामल पुत्र चोथूराम अंकित कर रखा है जो कि गलत है जबकि वादीनी का सही एवं वास्तविक नाम रामी देवी पुत्री चोथूराम है। राजस्व रिकार्ड में भिन्नता होने के कारण से वादीनी के खातेदारी हको का हनन होता है तथा वादीनी को केसीसी ऋण, खाद–बीज व अनुदान आदि मिलने में भारी परेशानी हो रही है इसलिए राजस्व रिकार्ड में नाम दुरूस्त किया जाना आवश्यक है। वादीनी का भारत निर्वाचन आयोग पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, बैंक पासबुक, जनाधार कार्ड, पैन कार्ड व अन्य सभी पहचान दस्तावेजों में वादीनी का सही नाम रामी देवी पुत्री चोथूराम दर्ज है। वादीनी यही नाम अपने राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त करवाना चाहती है। अंत में वाद पत्र पेश कर निवेदन किया कि वादीनी की उक्तानुसार वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम रामी देवी पुत्री चोथूराम दर्ज किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जावे।

Rajendra

2. वाद पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। नायब तहसीलदार साहवा से जांच रिपोर्ट तलव की गई। नायब तहसीलदार साहवा द्वारा जांच रिपोर्ट प्रेषित की जो कि शामिल पत्रावली की गई।

3. पत्रावली पर वकील वादीनी की बहस सुनी गई। दौराने बहस वादीनी अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में अंकित बिन्दुओं को मात्र दौहराते हुए हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादीनी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में रामी देवी पुत्री चोथूराम के स्थान पर रामल पुत्र चोथूराम दर्ज होने के कारण वादीनी को नापूर्ति योग्य नुकसान हो रहा है। अंत में वाद पत्र स्वीकार किया जाकर वादीनी हाल राजस्व रिकॉर्ड में रामल पुत्र चोथूराम दुरूस्त कर सही नाम रामी देवी पुत्री चोथूराम दर्ज कर घोषणा किये जाने का निवेदन किया गया। प्रतिवादी को भी इस सम्बन्ध में कोई उज्र ऐतराज नहीं है।

4. मैनें वादीनी अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर संलग्न दस्तावेजात् का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण में हाल राजस्व रिकॉर्ड मुताबिक जमाबंदी संवत् 2075-78 वाके ग्राम साहवा के नवीन खाता संख्या 294 का विवरण निम्न प्रकार है:-

खातेदार	हाल आराजी खसरा संख्या	रकबा
किशनलाल पुत्र चोथूराम जाति मोची निवासी साहवा	307	5.9179 है0
ख्यालीराम पुत्र चोथूराम जाति मोची निवासी साहवा		
गुड्डी पुत्री टीकूराम जाति मोची निवासी साहवा		
चान्दकौर पुत्री चोथूराम जाति मोची निवासी साहवा		
जगदीश पुत्र चोथूराम जाति मोची निवासी साहवा		
जेठाराम पुत्र चोथूराम जाति मोची निवासी साहवा		
देपाल पुत्र टीकूराम जाति मोची निवासी साहवा		
देवकरण पुत्र चोथूराम जाति मोची निवासी साहवा		
बिमला पुत्र चोथूराम जाति मोची निवासी साहवा		
भंवरी पुत्री चोथूराम जाति मोची निवासी साहवा		
मदन पुत्र टीकूराम जाति मोची निवासी साहवा		
मोटाराम पुत्र टीकूराम जाति मोची निवासी साहवा		
मोहनी पुत्री टीकूराम जाति मोची निवासी साहवा		
रामप्रसाद पुत्र टीकूराम जाति मोची निवासी साहवा		
रामल पुत्र चोथूराम जाति मोची निवासी साहवा		

5. इस प्रकार शामिल मिसल साबिक जमाबन्दी संवत् 2075-78, वाके ग्राम साहवा एवं संलग्न दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीनी का नाम **रामी देवी पुत्री चोथूराम** के स्थान पर **रामल पुत्र चोथूराम** अंकित किया गया। इस प्रकार एक ही व्यक्ति के दो अलग-अलग नाम दर्ज कर राजस्व कार्मिकों द्वारा काबिले दुरूस्त त्रुटि की है।

6. प्रकरण में वादीनी का नाम से संबंधित अन्य दस्तावेजों का विवरण इस प्रकार है:-

दस्तावेज का विवरण	नाम
आधार कार्ड	रामी देवी पत्नि ओमप्रकाश
राशन कार्ड	रामी पत्नि ओमप्रकाश

7. प्रकरण में उप तहसीलदार साहवा की रिपोर्ट प्राप्त हुई जो कि संलग्न पत्रावली है जिसका प्रासंगिक विवरण का उद्धरण इस प्रकार हैः–

> *मौके पर उपस्थित लोगों ने बताया कि रामल पुत्र चोथूराम का सही नाम रामी देवी पुत्री चोथूराम है। जबकि रामल पुत्र की बजाय पुत्री है, रामल एवं रामी दोनों नाम एक ही होना स्वीकार किया। रिपोर्ट में रामल पुत्र चोथूराम की बजाय रामी देवी पुत्री चोथूराम दर्ज करने की अभिशंषा की है।*

8. उक्त विश्लेषण के अनुसार जमाबन्दी खाता सं0 294 ख.नं. 307 में वादीनी का नाम रामल पुत्र चोथूराम अंकित है। मुताबिक उप तहसीलदार रिपोर्ट वादीनी का बोल–चाल का नाम रामल है जबकि असल नाम रामी देवी है। वर्तमान में वीदीनी का अन्य दस्तावेजों में नाम रामी देवी पुत्री चोथूराम अंकित है। अतः वादीनी का असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अद्यतित किया जाकर मिलान किया जाना आवश्यक है ताकि वादीनी अपने खातेदारी अधिकारों का अबाद व पूर्ण उपयोग कर सके। अतः वादीनी के हाल राजस्व रिकॉर्ड में नाम संबंधी इन्द्राज को मुताबिक अन्य दस्तावेज असल नाम अनुसार राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किया जाना उचित है। अतः वादीनी का वाद–पत्र अन्य दस्तावेज व उप तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः

आदेश है कि

वादीनी का वाद–पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी. एक्ट, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम–1956 अन्य दस्तावेज व उप तहसीलदार रिपोर्ट से साबित होने के कारण स्वीकार किया जाता है एवं वादीनी की खातेदारी आराजी में नाम संबंधी इन्द्राज **रामल पुत्र चोथूराम** को कलमजन कर मुताबिक अन्य दस्तावेज व उप तहसीलदार रिपोर्ट **रामी देवी पुत्री चोथूराम** का अंकन करने के आदेश तहसीलदार तारानगर को दिये जाते हैं। बाकी राजस्व इन्द्राज बदस्तूर रखा जावे।

पत्रावली का निर्णय आज दिनांक 27.11.2025 खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षर व मोहरयुक्त जारी किया गया।

Rajendra

(राजेन्द्र कुमार आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
तारानगर (चूरू)

अधिकारी

सत्यमेव जयते